

विभाजन अधिनियम, 1893

(1893 का अधिनियम संख्यांक 4)¹

[9 मार्च, 1893]

विभाजन से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

विभाजन से संबंधित विधि का संशोधन करना समीचीन है; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और व्यावृत्ति—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विभाजन अधिनियम, 1893 है।

(2) इसका विस्तार ²*** संपूर्ण भारत पर है ³***।

3*

*

*

*

*

(4) किन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सरकार को राजस्व का संदाय करने वाली स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए उपबंध करने वाली किसी स्थानीय विधि पर प्रभाव डालती है।

2. विभाजन वादों में विभाजन के बदले विक्रय का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति—जब कभी विभाजन के ऐसे किसी वाद में, जिसमें यदि वह वाद इस अधिनियम के पहले संस्थित किया गया होता तो विभाजन के लिए डिक्री की जा सकती थी, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जिस संपत्ति से वह संबंधित है उसकी प्रकृति या उसके हिस्साधारकों की संख्या या किसी अन्य विशेष परिस्थिति के कारण उस संपत्ति का विभाजन युक्तियुक्त रूप से या सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है और सभी हिस्साधारकों के लिए यह अधिक फायदाप्रद होगा कि संपत्ति का विक्रय करके आगमों का वितरण कर दिया जाए तो यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह ऐसे किन्हीं हिस्साधारकों के अनुरोध पर जो उस सम्पत्ति में अलग-अलग या सामूहिक रूप से हितबद्ध है, और जिनका उस सम्पत्ति में हित आधा या उससे अधिक है, उस संपत्ति के विक्रय और आगमों के वितरण का निदेश दे सकेगा।

3. प्रक्रिया, जब हिस्सेदार क्रय करने का वचन देता है—(1) यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें, इससे ठीक पहले की धारा के अधीन न्यायालय को विक्रय का निदेश देने के लिए अनुरोध किया गया है, कोई अन्य हिस्साधारक, विक्रय की मांग करने वाले पक्षकार या पक्षकारों के हिस्से या हिस्सों का आंके गए मूल्य पर क्रय करने की इजाजत के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय ऐसी रीति से उस हिस्से या उन हिस्सों के मूल्यांकन का आदेश देगा, जैसा वह ठीक समझे, और ऐसे हिस्साधारक को इस प्रकार अभिनिश्चित कीमत पर उस हिस्से का विक्रय करने की प्रस्थापना करेगा और उस निमित्त सभी आवश्यक और उचित निदेश दे सकेगा।

(2) यदि दो या अधिक हिस्साधारक, उपधारा (1) में उपबंधित रीति से क्रय करने की इजाजत के लिए अलग-अलग आवेदन करते हैं, तो न्यायालय, उस हिस्से या उन हिस्सों का विक्रय उस हिस्साधारक को करने का आदेश देगा, जो न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन से उच्चतम कीमत देने की प्रस्थापना करता है।

(3) यदि कोई हिस्साधारक इस प्रकार अभिनिश्चित कीमत पर ऐसा हिस्सा या ऐसे हिस्सों का क्रय करने के लिए रजामन्द नहीं है, तो आवेदक या आवेदकों को उस आवेदन या उन आवेदनों के सभी खर्चे या उसके या उनके आनुषंगिक खर्चे देने होंगे।

4. निवास-गृह में हिस्से के अंतरिती द्वारा विभाजन वाद—(1) जहां किसी अविभक्त कुटुम्ब के किसी निवास-गृह का हिस्सा, किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित किया गया है, जो ऐसे कुटुम्ब का सदस्य नहीं है और ऐसा अंतरिती विभाजन के लिए वाद लाता है वहां यदि कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य, जो हिस्साधारक है, ऐसे अंतरिती के हिस्से का क्रय करने का वचनबंध करता है तो न्यायालय ऐसे हिस्से का मूल्यांकन ऐसी रीति से करेगा, जैसा वह ठीक समझे और ऐसे हिस्से का विक्रय ऐसे हिस्साधारक को करने का निदेश देगा और उस निमित्त सभी आवश्यक और उचित निदेश दे सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में वर्णित किसी मामले में उस कुटुम्ब के दो या अधिक सदस्य, जो ऐसे हिस्साधारक हैं, ऐसे हिस्से का क्रय करने का वचन अलग-अलग देते हैं, तो न्यायालय इसके ठीक पहले की धारा की उपधारा (2) द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

¹ यह अधिनियम निम्नलिखित पर विस्तारित किया गया है :—

(1) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर।

(2) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर।

(3) भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3(ii) की अधिसूचना सं० 651 (अ), तारीख 24-8-1984 द्वारा (1-9-1984 से) सिक्किम पर।

² 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

³ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अन्त में “और” शब्द और उपधारा (3) निरसित।

5. निःशक्त पक्षकारों का प्रतिनिधित्व—विभाजन के किसी वाद में किसी निःशक्त पक्षकार की ओर से ऐसे वाद में ऐसे पक्षकार की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय के लिए अनुरोध कर सकेगा या क्रय करने का वचन दे सकेगा या क्रय करने की इजाजत का आवेदन कर सकेगा, परन्तु न्यायालय किसी ऐसे अनुरोध, वचन या आवेदन का अनुपालन करने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगा जब तक उसकी यह राय न हो कि विक्रय या क्रय ऐसे निःशक्त पक्षकार के फायदे के लिए होगा।

6. आरक्षित बोली और हिस्साधारकों द्वारा बोली लगाना—(1) धारा 2 के अधीन प्रत्येक विक्रय, आरक्षित बोली रखकर किया जाएगा और ऐसी बोली की रकम, न्यायालय द्वारा ऐसी रीति से नियत की जाएगी, जैसा वह ठीक समझे, और समय-समय पर उसमें फेरफार किए जा सकेंगे।

(2) ऐसे विक्रय पर प्रत्येक हिस्साधारक को ऐसे निबंधनों पर बोली लगाने की छूट होगी जो न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हों। ये निबंधन निक्षेप न करने के बारे में या क्रय मूल्य के मुजरा करने के या हिस्सा के बारे में हो सकेंगे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक उस संपत्ति का हिस्साधारक है, ऐसे विक्रय पर एक ही रकम की बोली अलग-अलग लगाते हैं तो ऐसी बोली के बारे में यह समझा जाएगा कि वह हिस्साधारक की बोली है।

7. विक्रयों की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया—इसमें इसके पूर्व जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जब इस अधिनियम के अधीन किसी संपत्ति का विक्रय करने का निदेश दिया गया है, तब जहां तक हो सके निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई के उच्च न्यायालय की अपनी आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में ¹ दी गई किसी डिक्री या आदेश के अधीन उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो अपनी आरम्भिक सिविल अधिकारिता में रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति के विक्रय के लिए ऐसे न्यायालय की प्रक्रिया;

(ख) यदि किसी अन्य न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया, जैसी कि उच्च न्यायालय समय-समय पर, नियम द्वारा इस निमित्त विहित करे, और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते, तब तक डिक्रियों के निष्पादन में विक्रयों की बाबत ²कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14) में विहित प्रक्रिया।

8. विक्रय के लिए आदेशों का डिक्री समझा जाना—धारा 2, 3 या 4 के अधीन विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश, ²कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14) की धारा 2 के अर्थ में डिक्री समझा जाएगा।

9. अंशतः विभाजन और अंशतः विक्रय का आदेश देने की शक्ति की व्यावृत्ति—विभाजन के किसी वाद में यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह उस संपत्ति के, जिससे वह वाद संबंधित है, किसी भाग के विभाजन के लिए और शेष के विक्रय के लिए इस अधिनियम के अधीन डिक्री कर सकेगा।

10. लंबितवादों को अधिनियम का लागू होना—यह अधिनियम उसके प्रारम्भ के पूर्व संस्थित ऐसे वादों को लागू होगा जिनमें न्यायालय द्वारा संपत्ति के विभाजन के लिए कोई भी योजना अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं की गई है।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “या रंगून के रिकार्डर के न्यायालय की” शब्दों का लोप किया गया।

² देखिए अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5)।